



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 643) पटना, शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)

अधिसूचना

4 अगस्त 2020

एस0आ0सं0-10/विवाह इमारत शरिया-15/2016-2382—दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया जाता है—

क्रमांक	नाम	पता	अभियुक्ति
1	मो0 मुफ्ती वसी अहमद कासमी (Md. Mufti Wasi Ahmad Qasmi)	S/o Md. Yusuf, At-Khaisa. PO+PS- Jamalpur, Dist- Darbhanga - Pin No- 847203 Present Address:- Imarat Sharia, Phulwari Sharif, Patna-801505	

2. उक्त एक्ट के अधीन नियुक्त निबंधक, विवाह एवं तलाक का क्षेत्राधिकार पटना सिटी, अवर निबंधन कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा।

3. अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II, एवं III का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह के पहले सोमवार को अवर निबंधक, पटना सिटी के समक्ष उपस्थापित करें, जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा।

3. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा यथा—वेतन, सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन ग्रेच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 643-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>